रजिस्टर्ड नं० पी०/एम० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 30 दिसम्बर, 1987/9 पौष, 1909

विधि विभाग
(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-2, 20 अगस्त, 1987

संख्या डी० एल० आर० 11/87.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी प्रक्टिशनर्स ऐक्ट. 1968 (1968 का 21)" के, संलग्न अधिप्रमणित राजभाषा रूपान्तर

1765-राजपत्र/87-30-12-87—1,268. (2575) मूल्य: 20 पैसे।

को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं । यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा । और इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा ।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी व्यवसायी अधिनियम, 1968

(1968 का 21)

(5 दिसम्बर, 1968)

(1 सितम्बर, 1986 को यथा विद्यमान)

आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण और ऐसी पद्धतियों में आचरण को नियमित करने सम्बन्धी विधि को समेकित करने और संशोधित करने के लिए **अधिनियम** ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय-1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक और यूनानी, व्यवसायी अधिनियम, 1968 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो हिमाचल प्रदेश सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) X X X X X

(ख) *"नियत दिन"* से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको धारा 1 की उप-धारा (3) के अधीन यह अधिनियम प्रवृत्त होता है,

(ग) "आयुर्वेदिक पद्धति" से अष्टांग आयुर्वेदिक पद्धति और सिद्ध अभिप्रेत है और उसकी आधुनीकृत रूप इसके अन्तर्गत हैं,

(घ) "बोर्ड" से धारा 3 के अधीन स्थापित और गठित हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक और यूनानी आयुर्विज्ञान पद्धति बोर्ड अभिप्रेत हैं,

(ङ) "निदेशक" से निदेशक आयुर्वेदा, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन निदेशक को शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त अधिकारी इसके अन्तर्गत हैं

(घ) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है;

(छ) "राजपत्र" से हिमाचल प्रदेश राजपत्र अभिप्रेत है;

(ज) "व्यवसायी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आयुर्वेदिक या यूनानी आयुर्विज्ञान पद्धति का व्यवसाय करता है;

(झ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ञ) "रजिस्टर" से धारा 4 के अधीन रखा गया व्यवसायियों का रजिस्टर अभिप्रेत है;

(ट) "रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी" से वह व्यवसायी अभिप्रेत है जिसका नाम रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है;

(ठ) "रजिस्ट्रार" से धारा 13 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(ड) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ढ) "अन्तरित राज्य क्षेत्र" से पहली नवम्बर, 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन पंजाब राज्य से हिमाचल प्रदेश राज्य को अन्तरित किए गए राज्यक्षत्र अभिप्रेत है, और

(ण) "यूनानी पद्धति" से आयुर्विज्ञान की यूनानी तिब्बी पद्धति अभिप्रत है और इसका आधुनिकृत रूप इसके अन्तर्गत है ।

अध्याय-2

बोर्ड की स्थापना और गठन और व्यवसायियों का रजिस्ट्रीकरण

बोर्ड की स्थापना, गठन और निगमन ।

3. (1) उप-धारा (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से, निम्नलिखित सदस्यों से गठित, हिमाचल प्रदेश, आयुर्वेदिक और यूनानी आयुर्विज्ञान पद्धति बोर्ड के नाम से एक बोर्ड स्थापित और गठित किया जाएगा अर्थात:—

(क) निदेशक, आयुर्वेद, हिमाचल प्रदेश, पदेन,

(ख) तीन सदस्य, जिनमें से एक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयुर्वेदिक या यूनानी संस्थान का प्रधानाचार्य होगा,

(ग) पांच सदस्य, जिनम से कम से कम तीन व्यक्ति आयुर्वेदिक या यूनानी पद्धति में डिप्लोमा या डिग्रीधारी होंगे, जो रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों द्वारा अपन म से ही चुने जाएंग ।

(2) बोर्ड, उपर्युक्त नाम से निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और इस अधिनियम क उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित, धारण और निपटाने और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उपर्युक्त नाम से वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकगा ।

(3) निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जाएगा ।

(4) उप धारा (1) के खण्ड (ग) में उपबंधित पांच सदस्यों के स्थान, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्वाचन से पूर्व विहित तारीख को यथा गणित उनकी संख्या के अनुपात म आयुर्वेदिक पद्धति का अनुसरण करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों और यूनानी पद्धति का अनुसरण करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों में वितरित किए जाएंगे:

परन्तु, अनुपात के अवधारण में आधा या उससे कम भाग छोड़ दिया जाएगा और आधे से ज्यादा भाग एक गिना जाएगा और कम से कम एक स्थान यूनानी पद्धति के लिए रखा जाएगा ।

(5) सदस्य का प्रत्येक निर्वाचन या नियुक्ति और सदस्य के पद में प्रत्येक रिक्ति राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी ।

(6) जब तक पूर्वगामी उप-धाराओं के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड की स्थापना और गठन नहीं किया जाता, हिमाचल प्रदेश सरकार, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, नियुक्त निदेशक सहित और शेष, आयुर्वेदिक या यूनानी पद्धति में डिप्लोमा या डिग्री धारी व्यक्तियों में से या इन दोनों पद्धतियों के व्यवसायियों में से सात सदस्यों से गठित बोर्ड का गठन कर सकगी, और इस प्रकार गठित बोर्ड, इस अधिनियम के प्रारम्भ से और ऐसे प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष से अनधिक अवधि के लिए इस अधिनियम के सभी उपबन्धों क कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, स्थापित और गठित बोर्ड समझा जाएगा और उप-धारा (3) और (5) के उपबन्ध ऐसे बोर्ड को लागू होंगे ।

सदस्यों का निर्वाचन ।

4. धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन बोर्ड के सदस्य होने के अधिकारी व्यवसायियों का निर्वाचन, ऐसे समय और स्थान पर और ऐसी रीति में होगा जो विहित की जाए ।

पदावधि ।

5. (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, पदेन सदस्य के अतिरिक्त सदस्य, बोर्ड की प्रथम बैठक की तारीख से पांच वर्ष की अवधि क लिए पद धारण करेगा ।

(2) पदावरोही सदस्य, अपने उत्तरवर्ती के निर्वाचन या नियुक्ति पर्यन्त पद पर बना रहेगा ।

(3) पदावरोही सदस्य पुनः निर्वाचन या पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

रिक्तियां ।

6. (1) यदि सदस्य के पद में, उसकी मृत्यु, त्याग-पत्र, हटाए जाने, निरर्हता या निर्योग्यता या अन्यथा रिक्ति होती है, तो वह रिक्ति धारा 3 म उपबन्धित रीति म भरी जाएगी ।

(2) रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन या नियुक्ति कोई व्यक्ति धारा 5 में उपबंधित किसी बात क होत हुए भी, कवल उतने समय के लिए धारण करेगा जितन समय क लिए कि, यदि रिक्ति न हुई होती, वह व्यक्ति पद धारण करता जिसके स्थान पर उसे निर्वाचित या नियुक्त किया गया है ।

त्यागपत्र ।

7. कोई भी सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा, किसी भी समय अपने पद का त्याग कर सकगा और त्याग-पत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको कि वह उस द्वारा मंजूर किया जाए ।

सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निर्योग्यताएं।

8. यदि कोई सदस्य उस अवधि के दौरान जिसके लिए उसे नियुक्त या निर्वाचित किया गया है, ऐसे कारणों के बिना जो बोर्ड की राय में पर्याप्त नहीं है, बोर्ड की तीन क्रमिक साधारण बैठकों से अनुपस्थित रहता है या धारा 9 में वर्णित किसी निर्योग्यता के अधीन आ जाता है, तो बोर्ड उसके पद को रिक्त घोषित कर देगा :

परन्तु, पद को रिक्त घोषित करने से पूर्व, बोर्ड स्पष्टीकरण मांगेगा और उस पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा ।

निरर्हताएं।

9. कोई व्यक्ति, सदस्य निर्वाचित या नियुक्त किए जाने के लिए या संदाय के रूप में बने रहने के लिए, निरर्हित होगा,—

(क) यदि वह अव्यस्क है या अनुमोचित दिवालिया है,
(ख) यदि वह विकृत-चित है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस रूप में घोषित किया गया है, और ;
(ग) यदि उसका नाम इस अधिनियम के अधीन तैयार किए गए रजिस्टर या सूची से हटा दिया गया है और उसमें पुनः प्रविष्ट नहीं किया गया है।

रिक्तियों आदि का बोर्ड की कार्यवाहियों को अविधिमान्य न करना ।

10. बोर्ड द्वारा, इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कार्यवाही केवल—,
(क) बोर्ड में किसी रिक्ति या गठन में त्रुटि, या
(ख) बोर्ड क सदस्य के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति के निर्वाचन या नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता, या
(ग) मामले के गुणागुण को प्रभावित न करने वाले ऐसे कार्य या कार्यवाही में किसी त्रुटि या अनियमितता के आधार पर अविधिमान्य नहीं हो जाएगी।

बोर्ड की बैठकों का समय और स्थान।

11. बोर्ड ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा और बोर्ड की प्रत्येक बैठक ऐसी रीति से बुलाई जाएगी जैसी कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों में उपबन्धित की जाए:

परन्तु जब तक ऐसे विनियम नहीं बनाए जाते, अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक सदस्य को संबोधित पत्र द्वारा, ऐसे समय और स्थान पर, जैसा वह समीचीन समझ, बोर्ड की बैठक बुलाना विधिमान्य होगा ।

बोर्ड की बैठक में प्रक्रिया।

12. (1) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में, बोर्ड के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित व्यक्ति द्वारा की जाएगी ।

(2) बोर्ड की बैठक में, सभी प्रश्नों पर, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चय किया जाएगा:

परन्तु मत बराबर होने की दशा में, यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापतित्व करने वाले व्यक्ति का, बोर्ड के सदस्य के रूप म अपने मत के अतिरिक्त, दूसरा या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा ।

(3) बोर्ड की बैठक में गणपूर्ति पांच सदस्यों से मिलकर बनेगी और धारा 3 की

उप-धारा (6) से निर्दिष्ट बोर्ड की बैठक में गणपूर्ति चार सदस्यों से मिलकर बनेगी:

परन्तु यदि कोई बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की जाती है तो उसीमें काम काज के संव्यवहार के लिए आगामी बैठक में गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी ।

कुल-सचिव और अन्य कर्मचारि-वृन्द ।

13. (1) इस सम्बन्ध में बनाए गये नियमों के अधीन रहते हुए, बोर्ड एक कुल-सचिव को नियुक्ति करेगा जो ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा और ऐसी सेवा शर्तों के अधीन होगा जो विहित की जाए :

परन्तु जब तक इस प्रकार कुल-सचिव की नियुक्ति नहीं कर दी जाती, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ से, रजिस्ट्रार समझा जाएगा जो ऐसे वेतन और भत्तों का अधिकारी होगा और सेवा शर्तों के अधीन होगा जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अवधारित की जाएं ।

(2) बोर्ड ऐसे अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों और ऐसे कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे और ऐसी सेवा शर्तों के अधीन होंग जो विहित की जाएं ।

1860 का 45 (3) रजिस्ट्रार सहित बोर्ड क सभी कर्मचारी, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ के अधीन लोक सेवक समझे जाएंगे ।

कुल-सचिव के कर्तव्य ।

14. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हए और बोर्ड के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, रजिस्टर बनाए रखना और बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करना रजिस्ट्रार का कर्त्तव्य होगा ।

(2) रजिस्टर ऐसे प्ररूप में होगा जैसा कि विहित किया जाए और इसमें प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी का नाम, पता और अर्हताएं, एसी अर्हताएं अर्जित करने की तारीख सहित, अन्तर्विष्ट होंगी ।

रजिस्टर निम्नलिखत तीन भागों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात्:—

भाग-1 आयुर्वेदिक पद्धति का व्यवसाय करने के लिए अर्हित व्यवसायियों के नामों से युक्त,

भाग-2 यूनानी पद्धति का व्यवसाय करने के लिए अर्हित व्यवसायियों के नामों से युक्त, और

भाग-3 धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों के नामों से युक्त ।

(3) कुल-सचिव रजिस्टर को सही बनाए रखेगा और समय-समय पर व्यवसायियों के पते या अर्हताओं में किसी तात्विक परिवर्तन की प्रविष्टि कर सकेगा । उन रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों के नाम जिनकी मृत्यु हो जाती है या जिनके नाम इस अधिनियम के अधीन हटाए जाने निर्दिष्ट हों, रजिस्टर से हटाए जाएंगे ।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाएं, आयुर्वेदिक पद्धति या यूनानी पद्धति में किसी भी अतिरिक्त डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र या अन्य मान्यता

प्राप्त चिकित्सा डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र, जिसे वह अभिप्राप्त करें, रजिस्टर में प्रविष्टि करवाने का अधिकारी होगा ।

(5) इस धारा के प्रयोजन के लिए कुल-सचिव, रजिस्टर में दर्ज पते पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, यह जांच करने के लिए कि क्या उसने व्यवसाय करना छोड़ दिया है या अपना निवास बदल लिया है पत्र लिख सकेगा और यदि तीन महीने के अन्दर उक्त पत्र का कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता, तो रजिस्ट्रार, उक्त व्यवसायी का नाम, रजिस्टर से हटा सकेगा:

परन्तु यदि उक्त व्यवसायी के आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि उसने व्यवसाय करना नहीं छोड़ा है, तो बोर्ड निदेश दे सकेगा कि उसका नाम रजिस्टर में पुन: दर्ज कर दिया जाए ।

रजिस्ट्रीकरण

15. (1) अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट किन्हीं अर्हताओं को रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी विहित की जाए, यथास्थिति, रजिस्टर के भाग-1 या भाग-2 में, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाएं, अपना नाम दर्ज कराने का हकदार होगा ।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर कुल-सचिव के समाधानप्रद रूप से साबित कर देता है कि व्यवसायी के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए आवेदन करने की पूर्ववर्ती तारीख को, वह सात वर्ष से अन्यून अवधि के लिए व्यवसायी के रूप में निरन्तर व्यवसाय करता रहा है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, और ऐसी फीस के संदाय पर जो इस निमित्त विहित की जाए, रजिस्टर के भाग-3 मे ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जाएं अपना नाम रजिस्ट्रीकृत करवाने का हकदार होगा ।

(3) कोई भी व्यक्ति, यदि वह अवयस्क है, इस धारा के अधीन रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने का हकदार नहीं होगा ।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम अन्तरित राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त, दि पंजाब आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी प्रैक्टीशनर्ज ऐक्ट, 1963 की धारा 15 के अधीन रखे गए रजिस्टर में नियत दिन से ठीक पूर्व दर्ज किया गया है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन व्यवसायी के रूप में रजिस्ट्रीकृत माना जाएगा और उसका नाम इस अधिनियम के अधीन बनाए रखे गए रजिस्टर के समीचीन भाग में दर्ज किया जाएगा : 1963 का पंजाब ऐक्ट 42

परन्तु उन व्यक्तियों के मामले में जो दि पंजाब आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी प्रैक्टीशनर्ज ऐक्ट, 1963 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए गए थे और इस उप-धारा के अधीन पुन: दर्ज किए जाने हैं, ऐसी फीस के संदाय के लिए उत्तरदायी होंगे जो इस निमित्त विहित की जाएं।

(5) इस धारा के अधीन दर्ज किए गए व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण, रजिस्टर में प्रविष्टि की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् इसका ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी रीति से, जो इस निमित्त विहित की जाए, नवीकरण किया जाएगा ।

बोर्ड के रजिस्टर आदि में प्रविष्टि प्रतिषेध करने या हटाने का निदेश की शक्ति।

16. (1) बोर्ड, किसी व्यवसायी के नाम की प्रविष्टि का रजिस्टर में प्रतिषेध कर सकेगा या रजिस्टर में से नाम हटाने के आदेश दे सकेगा,—

(क) जिसे दाण्डिक न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से अन्तर्वलित ऐसे अपराध के लिए जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया जाए, कारावास का दण्डादेश दिया गया हो, या

(ख) जिसे, बोर्ड द्वारा या तो स्वयं या बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से इस प्रयोजन के लिए नियुक्त समिति द्वारा की गई उचित जांच के पश्चात्, बोर्ड की बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से कम दो तिहाई बहुमत से वृत्तिक अवचार या अन्य कुत्सित आचरण का दोषी पाया गया हो।

(2) बोर्ड, अपना समाधान हो जाने के पश्चात कि समय बीत जाने या अन्य कारण से उप-धारा (1) में वर्णित निर्योग्यता प्रवर्तन में नहीं रही है, निदेश दे सकेगा कि उस व्यक्ति का नाम, जिसके विरूद्ध उप-धारा (1) के अधीन आदेश पारित किया गया है, यथास्थिति दर्ज या पुनः दर्ज किया जाये।

जांच की प्रक्रिया।

17. धारा 16 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन की गई जांच के प्रयोजन के लिए, बोर्ड या बोर्ड द्वारा नियुक्त समिति, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अर्थ के अन्तर्गत "न्यायालय" समझा जायगा और, यथाशक्य, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

1872 का 1
1908 का 5

कुल-सचिव के विनिश्चय के विरूद्ध बोर्ड को अपील और बोर्ड की अन्य शक्तियां।

18. (1) किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण या रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के बारे में कुल-सचिव के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, बोर्ड को अपील कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील, उस आदेश के जिसके विरुद्ध अपील की गई है उस की प्रति प्राप्त करने में लगे समय को अपवर्जित करके, आदेश पारित होने के 60 दिन के भीतर दायर की जायगी और बोर्ड द्वारा विहित रीति से उसकी सुनवाई और विनिश्चत किया जाएगा।

(3) बोर्ड, स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर, सम्यक रूप से और उचित जांच के पश्चात् और सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को रद्द या परिवर्तित कर सकेगा, यदि बोर्ड की राय में ऐसी प्रविष्टि कपटपूर्वक या गलत तौर पर की गई थी।

अर्हित व्यवसायी का प्रमाण-पत्र।

19. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) "वैध रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी या सम्यकरूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी" पद या चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सा वृत्ति के सदस्य के रूप में विधि द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति को घोषित करने वाले किसी शब्द के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश राज्य में सभी अधिनियमों या विधि का बल रखने वाले अन्य उपबन्धों में और भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची II या III से संबंधित विषयों में, रजिस्टर के भाग I या II में रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी होगा :

परन्तु रूग्णता का प्रमाण-पत्र रजिस्टर को भाग-III में रजिस्ट्रीकृत किसी व्यवसायी द्वारा भी हस्ताक्षरित और जारी किया जा सकेगा।

(ग) रजिस्टर के भाग 1 या भाग 2 में रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, सरकार द्वारा समर्थित या सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे और आयुर्वेदिक या यूनानी पद्धति के अनुसार रोगियों का उपचार कर रहे किसी आयुर्वेदिक या यूनानी औषधालय या अस्पताल में या ऐसी किसी पद्धति से उपचार करने वाली किसी लोक स्थापना, निकाय या संस्थान में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कोई नियुक्ति धारण करने का पात्र होगा; और

(घ) रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, पदार्थों को उनके कच्चे या विनिर्मित रूप में या ऐसे पदार्थों से युक्त सम्पाक का, प्रयोग करने का अधिकारी होगा बशर्ते कि ऐसे प्रयोग के सम्बन्ध में उन औषधियों के मूल सिद्धांतों के अनुसार उसे उनकी औषध निर्माण क्रिया का ज्ञान हो।

मृत्यु की सूचना।

20. मृत्यु आंकड़ों का प्रत्येक रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर, तुरन्त, रजिस्ट्रार को पत्र द्वारा ऐसी मृत्यु के समय और स्थान की विशिष्टियों सहित, अपने हस्ताक्षर सहित एक प्रमाण-पत्र भेजेगा और ऐसे प्रमाण-पत्र और प्रेषण के खर्च को अपने कार्यालय व्यय क रूप में प्रभारित कर सकेगा।

मृत्यु समीक्षा करने से छूट।

21. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को, यदि वह ऐसा चाहे, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अधीन कोई मृत्यु समीक्षा करने से छूट दी जायेगी।

सदस्यों को देय फीस और भत्ते।

22. बोर्ड की बैठक में उपस्थिति के लिए सदस्यों को ऐसी फीस और ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते संदत्त किए जायेंगे जैसे कि विहित किए जाएं।

बोर्ड के अभिलेखों को प्रमाणित करने का ढंग।

23. बोर्ड के कब्जे में किसी कार्यवाही, रसीद, आवेदन, योजना, नोटिस, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज में प्रविष्टि की प्रति यदि रजिस्ट्रार या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित हो, तो प्रविष्टि या दस्तावेज के विद्यमान होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य क रूप में प्राप्त की जायेगी और प्रत्येक मामले में प्रविष्टि या दस्तावेज और उनमें अभिलिखित विषयों की विद्यमानता के साक्ष्य के रूप में उस सीमा तक ग्राह्य होंगी जिस तक यदि मौलिक प्रविष्टि या दस्तावेज उपाप्त कर लिए जाते तो ऐसे विषयों को साबित करने के लिए ग्राह्य होते।

आदेशों, रजिस्टर में प्रविष्टियों इत्यादि की प्रतियां जारी करने की फीस।

24. बोर्ड या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी आदेश या रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की प्रतियों का प्रदाय, एसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, किया जायगा।

बोर्ड द्वारा प्राप्त फीस।

25. इस अधिनियम के अधीन, बोर्ड द्वारा फीस के रूप में प्राप्त सारा धन विहित रीति से इस अधिनियम के प्रयोजनों क लिए उपयोग किया जायगा।

व्यवसायियों की सूची का प्रकाशन।

26. (1) रजिस्ट्रार, प्रत्येक पांच वर्षों में कम-से-कम एक बार, बोर्ड द्वारा नियत की जाने वाली तारीख को या उससे पूर्व रजिस्टर में तत्समय प्रविष्ट सभी व्यवसायियों क नामों और अर्हताओं और उन तारीखों की जिनकी ऐसी अर्हताएं अर्जित की गई थीं, सही सूची, मुद्रित और प्रकाशित करवायेगा।

(2) किसी भी कार्यवाही में, चाहे वह न्यायालय के समक्ष हो या अन्यथा यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसी सूची में प्रविष्ट प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी है और कोई व्यक्ति जो इस तरह प्रविष्ट नहीं है, रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी नहीं है।

विधि विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी की उपाधि धारण करने के लिए शास्ति।

27. कोई भी व्यक्ति जो, जानबूझ कर और मिथ्या रूप से यह विवक्षित करते हुए, अपने नाम के साथ कोई उपाधि, विवरण या अभिवर्णन धारण करता है या उसका उपयोग करता है कि वह रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी है, प्रथम अपराध के लिए कारावास से जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

फेरी आदि द्वारा औषधियों का बेचना अपराध होगा।

28. कोई भी व्यवसायी, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, आयुर्वेदिक या यूनानी पद्धति की किसी औषधि को सार्वजनिक स्थान पर फेरी लगा कर या मजमा लगा कर नहीं बेचेगा।

व्यवसायी करने सम्बन्धी प्रतिषेध।

20. रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी से अन्यथा कोई भी व्यक्ति ऐसी तारीख से जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आयुर्वेदिक पद्धति या यूनानी पद्धति का व्यवसाय नहीं करेगा या अपने आप को प्रत्यक्षतः या विवक्षित रूप से, व्यवसाय करते हुए या व्यवसाय की तैयारी करते हुए, प्रकट नहीं करेगा।

शास्ति।

30. कोई भी व्यक्ति जो धारा 28 या धारा 29 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है दोष सिद्ध पर जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

अनुसूची-I को संशोधित करने की शक्ति।

31. हिमाचल प्रदेश सरकार, अनुसूची-1 का उसमें किसी अर्हता का परिवर्तन करने या उसमें से विलोप करने के लिए, अधिसूचना द्वारा संशोधन कर सकेगी और उस पर अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जायेगी।

हिमाचल प्रदेश सरकार का नियन्त्रण।

32. यदि हिमाचल प्रदेश सरकार को किसी समय यह प्रतीत हो कि बोर्ड ने इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में उपेक्षा की है या प्रयोग का अतिरेक किया है या दुरुपयोग किया है या इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के अनुपालन की उपेक्षा की है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ऐसी उपेक्षा, अतिरेक या दुरुपयोग की विशिष्टियां बोर्ड को संसूचित कर सकेगी, और यदि बोर्ड, ऐसी उपेक्षा, अतिरेक या दुरुपयोग का एसे समय के भीतर जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस निमित्त नियत किया जाएगा, उपचार करने में असफल रहता है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ऐसी उपेक्षा, अतिरेक या दुरुपयोग के उपचार के प्रयोजन के लिए, बोर्ड की किन्हीं शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का अनुपालन एसे अभिकरण द्वारा और ऐसी अवधि के लिए करवा सकेगी जो हिमाचल प्रदेश सरकार उचित समझे।

अपराधों पर विचारण के लिए सक्षम न्यायालय और

33. (1) मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय से अन्यथा कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान या विचारण नहीं करेगा।

(2) कोई भी न्यायालय, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त अधिकारी के लिखित परिवाद के सिवाय, इस अधिनियम की धारा 9 क अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

(ग) रजिस्टर के भाग 1 या भाग 2 में रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, सरकार द्वारा समर्थित या सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे और आयुर्वेदिक या यूनानी पद्धति के अनुसार रोगियों का उपचार कर रहे किसी आयुर्वेदिक या यूनानी औषधालय या अस्पताल में या ऐसी किसी पद्धति से उपचार करने वाली किसी लोक स्थापना, निकाय या संस्थान में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कोई नियुक्ति धारण करने का पात्र होगा; और

(घ) रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, पदार्थों को उनके कच्चे या विनिर्मित रूप में या ऐसे पदार्थों से युक्त सम्पाक का, प्रयोग करने का अधिकारी होगा बशर्ते कि ऐसे प्रयोग के सम्बन्ध में उन औषधियों के मूल सिद्धांतों के अनुसार उसे उनकी औषध निर्माण क्रिया का ज्ञान हो।

मृत्यु की सूचना।

20. मृत्यु आंकड़ों का प्रत्येक रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर, तुरन्त, रजिस्ट्रार को पत्र द्वारा ऐसी मृत्यु के समय और स्थान की विशिष्टियों सहित, अपने हस्ताक्षर सहित एक प्रमाण-पत्र भेजेगा और ऐसे प्रमाण-पत्र और प्रेषण के खर्च को अपने कार्यालय व्यय के रूप में प्रभारित कर सकेगा।

मृत्यु समीक्षा करने से छूट।

21. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को, यदि वह ऐसा चाहे, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अधीन कोई मृत्यु समीक्षा करने से छूट दी जायेगी।

सदस्यों को देय फीस और भत्ते।

22. बोर्ड की बैठक में उपस्थिति के लिए सदस्यों को ऐसी फीस और ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते संदत्त किए जायेंगे जैसे कि विहित किए जाएं।

बोर्ड के अभिलेखों को प्रमाणित करने का ढंग।

23. बोर्ड के कब्जे में किसी कार्यवाही, रसीद, आवेदन, योजना, नोटिस, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज में प्रविष्टि की प्रति यदि रजिस्ट्रार या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित हो, तो प्रविष्टि या दस्तावेज के विद्यमान होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में प्राप्त की जायेगी और प्रत्येक मामले में प्रविष्टि या दस्तावेज और उनमें अभिलिखित विषयों की विद्यमानता के साक्ष्य के रूप में उस सीमा तक ग्राह्य होंगी जिस तक यदि मौलिक प्रविष्टि या दस्तावेज उपाप्त कर लिए जाते तो ऐसे विषयों को साबित करने के लिए ग्राह्य होते।

आदेशों, रजिस्टर में प्रविष्टियों इत्यादि की प्रतियां जारी करने की फीस।

24. बोर्ड या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी आदेश या रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की प्रतियों का प्रदाय, ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, किया जायगा।

बोर्ड द्वारा प्राप्त फीस।

25. इस अधिनियम के अधीन, बोर्ड द्वारा फीस के रूप में प्राप्त सारा धन विहित रीति से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जायगा।

व्यवसायियों की सूची का प्रकाशन।

26. (1) रजिस्ट्रार, प्रत्येक पांच वर्षों में कम-से-कम एक बार, बोर्ड द्वारा नियत की जाने वाली तारीख को या उससे पूर्व रजिस्टर में तत्समय प्रविष्ट सभी व्यवसायियों के नामों और अर्हताओं और उन तारीखों की जिनकी ऐसी अर्हताएं अर्जित की गई थीं, सही सूची, मुद्रित और प्रकाशित करवायेगा।

(2) किसी भी कार्यवाही में, चाहे वह न्यायालय के समक्ष हो या अन्यथा यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसी सूची में प्रविष्ट प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी है और कोई व्यक्ति जो इस तरह प्रविष्ट नहीं है, रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी नहीं है।

विधि विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी की उपाधि धारण करने के लिए शास्ति ।

27. कोई भी व्यक्ति जो, जानबूझ कर और मिथ्या रूप से यह विवक्षित करते हुए, अपने नाम के साथ कोई उपाधि, विवरण या अभिवर्णन धारण करता है या उसका उपयोग करता है कि वह रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी है, प्रथम अपराध के लिए कारावास से जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

फेरी आदि द्वारा औषधियों का बेचना अपराध होगा ।

28. कोई भी व्यवसायी, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, आयुर्वेदिक या यूनानी पद्धति की किसी औषधि को सार्वजनिक स्थान पर फेरी लगा कर या मजमा लगा कर नहीं बेचेगा।

व्यवसायी करने सम्बन्धी प्रतिषेध ।

20. रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी से अन्यथा कोई भी व्यक्ति ऐसी तारीख से जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आयुर्वेदिक पद्धति या यूनानी पद्धति का व्यवसाय नहीं करेगा या अपने आप को प्रत्यक्षतः या विवक्षित रूप से, व्यवसाय करते हुए या व्यवसाय की तैयारी करते हुए, प्रकट नहीं करेगा।

शास्ति ।

30. कोई भी व्यक्ति जो धारा 28 या धारा 29 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है दोष सिद्ध पर जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

अनुसूची-I को संशोधित करने की शक्ति ।

31. हिमाचल प्रदेश सरकार, अनुसूची-1 का उसमें किसी अर्हता का परिवर्तन करने या उसमें से विलोप करने के लिए, अधिसूचना द्वारा संशोधन कर सकेगी और उस पर अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जायेगी।

हिमाचल प्रदेश सरकार का नियन्त्रण ।

32. यदि हिमाचल प्रदेश सरकार को किसी समय यह प्रतीत हो कि बोर्ड ने इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में उपेक्षा की है या प्रयोग का अतिरेक किया है या दुरुपयोग किया है या इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के अनुपालन की उपेक्षा की है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ऐसी उपेक्षा, अतिरेक या दुरुपयोग की विशिष्टियां बोर्ड को संसूचित कर सकेगी, और यदि बोर्ड, ऐसी उपेक्षा, अतिरेक या दुरुपयोग का ऐसे समय के भीतर जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस निमित्त नियत किया जाएगा, उपचार करने में असफल रहता है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ऐसी उपेक्षा, अतिरेक या दुरुपयोग के उपचार के प्रयोजन के लिए, बोर्ड की किन्हीं शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का अनुपालन ऐसे अभिकरण द्वारा और ऐसी अवधि के लिए करवा सकेगी जो हिमाचल प्रदेश सरकार उचित समझे।

अपराधों पर विचारण के लिए सक्षम न्यायालय और

33. (1) मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय से अन्यथा कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान या विचारण नहीं करेगा।

(2) कोई भी न्यायालय, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त अधिकारी के लिखित परिवाद के सिवाय, इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

अपराधों का संज्ञान।

(3) पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति को जो इस अधिनियम की धारा 27 और 28 के अधीन दण्डनीय अपराध करता है, वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा।

सद्भाव से किए गए कार्य का संरक्षण।

34. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन, सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, कोई भी वाद, अभियोजन, या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

अध्याय-3

निर्वाचन सम्बन्धी विवाद

परिभाषाएं।

35. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "एजेण्ट" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उसकी लिखित सहमति से उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन में अपने निर्वाचन के प्रयोजन के लिए लिखित रूप में अपना अभिकर्ता, नियुक्त किया है।

(ख) "उम्मीदवार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे निर्वाचन में सम्यक् रूप से उम्मीदवार नामनिर्दिष्ट किया गया है या किए जाने का दावा करता है, और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे समय से जब वह भावी निर्वाचन में अपने आप को भावी उम्मीदवार के रूप में प्रकट करता है, उम्मीदवार समझा जायेगा;

(ग) "भ्रष्ट आचरण" से अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट कोई आचरण अभिप्रेत है;

(घ) "लागत" से निर्वाचन अर्जी या उससे आनुषंगिक के विचारण की सारी लागत, प्रभार और व्यय अभिप्रेत है;

(ङ) "निर्वाचन" से किसी सदस्य क पद को भरने के लिए निर्वाचन अभिप्रेत है;

(च) "निर्वाचन अधिकार" से किसी व्यक्ति का चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ होने या खड़े न होन या हट जाने या मतदान करने या मतदान से विरत रहने का अधिकार अभिप्रेत है;

(छ) "लीडर" से किसी सिविल न्यायालय में उपसंजात होने और किसी अन्य व्यक्ति के लिए अभिवचन करन का अधिकारी कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और अधिवक्ता इसके अन्तर्गत है।

निर्वाचन अर्जियां।

36. इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार पेश निर्वाचन अर्जी के सिवाय, कोई निर्वाचन प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

अर्जियों का पेश किया जाना।

37. (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी किसी सदस्य के धारा 3 की उप-धारा (5) के अधीन निर्वाचन को अधिसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर और विहित रीति से विहित प्रतिभूति देने पर धारा 49 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक आधारों पर विहित प्राधिकारी को ऐसे सदस्य के निर्वाचन के विरुद्ध लिखित रूप में निर्वाचन अर्जी पेश कर सकेगा।

(2) चुनाव अर्जी विहित प्राधिकारी को दी गई समझी जायेगी—

(क) जब वह विहित प्राधिकारी को निम्नलिखित द्वारा जाती है,—

(i) अर्जी देने वाले व्यक्ति द्वारा, या

(ii) अर्जी देने वाले व्यक्ति द्वारा इस निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, या

(ख) जब यह रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जाती है और विहित प्राधीकारी को परिदत्त की जाती है।

कार्यों की विषय हेतु।

38. (1) निर्वाचन अर्जी में,—

(क) तात्विक तथ्यों, जिन पर अर्जी निर्भर करती है, का संक्षिप्त कथन प्रस्तुत होगा ;

(ख) ऐसा भ्रष्ट आचरण करने वाले अभिकथित पक्षकारों के नामों की यथा सम्भव पूर्ण विवरणी सहित, अर्जीदार द्वारा अभिकथित किसी भ्रष्ट आचरण की पूर्ण विशिष्टियों और ऐसे आचरण के होने की तारीख और स्थान उपवर्णित किया जायेगा ;

(ग) अर्जीदार द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अभिवचनों के सत्यापन के लिए अधिकथित रीति में सत्यापित की जायेगी :

परन्तु जहां अर्जीदार किसी भ्रष्ट आचरण का अभिकथन करता है, तो अर्जी के साथ ऐसे भ्रष्ट आचरण के समर्थन में विहित प्ररूप में शपथ-पत्र और उसकी विशिष्टियां संलग्न की जायगी।

(2) अर्जी की कोई अनुसूची या उपाबन्ध भी अर्जीदार द्वारा हस्ताक्षरित और उसी रीति से जिसमें कि अर्जी सत्यापित की जाती है, सत्यापित किया जायेगा।

निर्वाचन अर्जी प्राप्त होने पर प्रक्रिया।

39. यदि विहित प्रतिभूति विहित रीति में नहीं दी जाती या अर्जी धारा 37 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परिदत्त नहीं की जाती तो विहित प्राधिकारी अर्जी को खारिज कर देगा :

परन्तु अर्जी, अर्जीदार को सुनवाई का अवसर दिए बिना, खारिज नहीं की जायेगी।

निदेशक की अर्जी वापस लेने और हस्तान्तरित करने की शक्ति।

40. निदेशक, पक्षकारों को नोटिस देने के पश्चात् और अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से किसी भी प्रक्रम में विहित प्राधिकारी समक्ष लम्बित किसी निर्वाचन अर्जी को वापस ले सकेगा और इसे विचारण के लिए अन्य किसी विहित प्राधिकारी को हस्तान्तरित कर सकेगा, और ऐसे हस्तान्तरण पर विहित प्राधिकारी उस प्रक्रम से विचारण की कार्यवाही करेगा जिससे इसे वापस लिया गया था:

परन्तु ऐसा प्राधिकारी, यदि वह उचित समझे, किसी भी साक्षी को जिसका पहले परीक्षण हो चुका है, पुनः बुला सकेगा और पुनः परीक्षण कर सकेगा।

विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रक्रिया।

41. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियम के अधीन रहत हुए, विहित प्राधिकारी द्वारा, प्रत्यक निर्वाचन पर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के अधीन वादों विचारण क लिए लागू प्रक्रिया क यथाशक्य निकटतम, अनुसार विचारण किया जाएगा:

परन्तु विहित प्राधिकारी को अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से किसी साक्षी या साक्षियों का परीक्षण करन से इन्कार करने का विवकाधिकार होगा यदि उसकी यह राय हो कि उनका साक्ष्य अर्जी क विनिश्चय क लिए तात्विक नहीं है या साक्षी या साक्षियों को पेश करन वाला पक्षकार तुच्छ आधारों पर या कार्यवाहियों में विलम्ब करने के आशय से ऐसा कर रहा है ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के उपबन्ध हर प्रकार से निर्वाचन अर्जी के विचारण पर लागू समझे जाएंगे ।

विहित प्राधिकारी के समक्ष उपस्थिति ।

42. विहित प्राधिकारी के समक्ष कोई उपस्थिति, आवेदन या कार्य पक्षकार द्वारा स्वयं या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त अभिवक्ता द्वारा किया जा सकेगा :

परन्तु विहित प्राधिकारी, जब कभी वह आवश्यक समझे, किसी पक्षकार को व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने का निदेश दे सकेगा ।

विहित प्राधिकारी की शक्ति ।

43. विहित प्राधिकारी को वे शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन, निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित वाद पर विचारण करते समय न्यायालय में निहित होती है:—

(क) प्रकटीकरण और निरीक्षण,
(ख) साक्षियों की उपस्थिति कराना और उनके व्ययों के निक्षेप को आवश्यक बनाना,
(ग) दस्तावेज पेश करने के लिए आबद्ध करना,
(घ) शपथ पर साक्षियों का परीक्षण करना,
(ङ) स्थगनों को अनुदत्त करना,
(च) शपथ पर लिए गए साक्ष्य को ग्रहण करना, और
(छ) साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना;

और वह स्वतः किसी व्यक्ति को जिसका साक्ष्य उसे तात्विक प्रतीत हो बुला सकेगा और परीक्षण कर सकेगा, और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 480 और 482 के अर्थ के अन्तर्गत सिविल न्यायालय समझा अधिकारिता की जाएगा ।

स्पष्टीकरण.—साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमाएं होंगी ।

दस्तावेजी साक्ष्य ।

44. किसी अधिनियमिति म किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निर्वाचन अर्जी के विचारण मे कोई दस्तावेज इस आधार पर आग्राह्य नही होगा कि यह सम्यक् रूप से स्टाम्पित या रजिस्ट्रीकृत नहीं है ।

मतदान की गोपनीयता का अतिलंघन न करना ।

45. किसी भी साक्षी या अन्य व्यक्ति के लिए यह विचारण देना आवश्यक नहीं होगा कि निर्वाचन में उसने किस को मतदान किया है ।

अपराध में फंसान वाले प्रश्नों का उत्तर देना और परित्राण

46. (1) किसी भी साक्षी को, निर्वाचन अर्जी के विचारण म विवाध विषय से सुसंगत किसी विषय के बारे में किसी प्रश्न का उत्तर देने से इस आधार पर छूट नहीं दी जाएगी कि ऐसे प्रश्न का उत्तर, उसे अपराध में फंसा सकेगा या फंसाने वाला हो सकेगा या यह उसे शास्ति या समपहरण की आशंका में डालगा या आशंका में डालने

वाला हो सकेगा:—

का प्रमाण-पत्र ।

परन्तु;—

(क) वह साक्षी, जो सब प्रश्नों का सही उत्तर देता है जिनका उत्तर उस द्वारा दिया जाना अपेक्षित है, विहित प्राधिकारी से परित्राण का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा, और

(ख) विहित प्राधिकारी द्वारा या उसके समक्ष किए गए प्रश्न का, साक्षी द्वारा दिया गया उत्तर, साक्ष्य के सम्बन्ध में, मिथ्याशपथ के लिए किसी दाण्डिक कार्यवाही के मामले के सिवाय, किसी सिविल या दाण्डिक कार्यवाही में, उसके विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा ।

(2) जब किसी साक्षी को परित्राण का प्रमाण-पत्र अनुदत्त कर दिया गया हो, तो वह उसका किसी न्यायालय में अभिवचन कर सकेगा और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) के अध्याय (अ) के अधीन उस विषय से जिससे ऐसा प्रमाण-पत्र सम्बन्धित है उद्भूत किसी आरोप का या उस पर विस्तृत और पूर्ण प्रतिवाद होगा । किन्तु यह इस अधिनियम या अन्य विधि द्वारा निर्वाचन के सम्बन्ध में अधिरोपित किसी निरर्हता से उसे अवमुक्त करने वाला नहीं समझा जाएगा ।

साक्षियों के खर्चे ।

47. किसी व्यक्ति द्वारा साक्ष्य देने के लिए उपगत उचित खर्चे ऐसे व्यक्ति को विहित प्राधिकारी द्वारा मंजूर किए जा सकेंगे और विहित प्राधिकारी जब तक अन्यथा निदेश न दे, लागत का भाग समझे जाएंगे ।

विहित प्राधिकारी का विनिश्चय ।

48. (1) जहां निर्वाचन अर्जी, धारा 39 के अधीन खारिज नहीं की गई हो, विहित प्राधिकारी निर्वाचन अर्जी की जांच करेगा और जांच की समाप्ति पर,—

(क) निर्वाचन अर्जी को खारिज करने का, या

(ख) चुनाव को अपास्त करने का, आदेश देगा ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आदेश देते समय विहित प्राधिकारी निम्नलिखित आदेश भी करेगा:—

(क) जहां अर्जी में निर्वाचन में किए गए भ्रष्ट आचारण का आरोप लगाया गया हो, निम्नलिखित का अभिलेख करेगा:—

(i) यह निष्कर्ष कि क्या निर्वाचन में किसी भ्रष्ट आचरण का किया जाना साबित हुआ है और उस भ्रष्ट आचरण की प्रकृति,

(ii) सभी व्यक्तियों के नाम, यदि कोई हो, जो विचारण में किसी भ्रष्ट आचरण के दोषी साबित हुए हैं और उस आचरण की प्रकृति, और

(ख) देय लागत की कुल राशि नियत करना और उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करना जिन के द्वारा और जिनको लागत संदत्त की जाएगी :

परन्तु उप-धारा (ii) के खण्ड (क) के अधीन आदेश में उस व्यक्ति के, जो अर्जी का पक्षकार नहीं है, नामित नहीं किया जाएगा, जब कि,—

(1) उसे विहित प्राधिकारी के समक्ष हाजिर होने और कारण बताने के लिए

कि उसे इस प्रकार नामित क्यों न किया जाए, नोटिस न दिया गया हो,

(2) उसे, यदि वह नोटिस के अनुसरण में हाजिर होता है, किसी साक्षी की, जिसका विहित प्राधिकारी द्वारा पहल ही परीक्षण किया जा चुका है और जिसने उसके विरुद्ध साक्ष्य दिया है प्रतिपरीक्षा करने अपने प्रतिवाद में साक्ष्य मंगाने और सुनवाई का अवसर, नहीं दे दिया गया हो ।

निर्वाचन को अपास्त करने के आधार ।

49. (1) यदि विहित प्राधिकारी की यह राय हो,—

(क) कि निर्वाचित व्यक्ति चुनाव की तारीख को, इस अधिनियम के अधीन निर्वाचित किए जाने के लिए अर्हित नहीं था या निरर्हित किया गया था, या

(ख) कि निर्वाचित व्यक्ति द्वारा या उसके एजेण्ट द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यक्ति निर्वाचित या उसके एजण्ट की सहमति से कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है,

(ग) कि निर्वाचन परिणाम, जहां तक यह निर्वाचित व्यक्ति से सम्बन्धित है, निम्नलिखित द्वारा तात्विक रूप से प्रभावित हुआ है,—

(i) किसी नाम निर्देशन को अनुचित स्वीकृति द्वारा, या

(ii) किसी मत के अनुचित ग्रहण, इन्कारी या अस्वीकृति या किसी अमान्य मत के ग्रहण द्वारा, या

(iii) इस अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुपालन द्वारा तो विहित प्राधिकारी निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन को अपास्त कर देगा ।

(2) जब उप-धारा (1) अधीन निर्वाचन अपास्त किया गया हो, तो पुनः निर्वाचन किया जाएगा ।

निर्वाचन अर्जियों का उपशमन ।

50. निर्वाचन अर्जी का उपशमन मात्र अर्जीदार या विभिन्न अर्जियों के उत्तरजीवी की मृत्यु पर ही होगा ।

लागत का, लागत प्रतिभूति निक्षेप में से संदाय और ऐसे निक्षेपों को वापस करना ।

51. (1) अभिवक्ता की फीस सहित व्यय, विहित प्राधिकारी के स्वविवेक पर होगा ।

(2) यदि इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन लागत के बारे किसी आदेश में किसी पक्षकार द्वारा किसी व्यक्ति को लागत के संदाय के लिए निदेश हो, तो ऐसी लागत यदि उन्हें पहल संदत्त नहीं की गई हो, पूर्ण रूप में या यथासम्भव, इस अध्याय क अधीन ऐसे पक्षकार द्वारा किए गए प्रतिभूति निक्षेप में ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष क भीतर इस सम्बन्ध म उस व्यक्ति द्वारा जिसके पक्ष में लागत अधिनिर्णीत की है, निदेशक को लिखित आवेदन पर, संदत्त की जाएगी ।

(3) यदि उप-धारा (2) के अधीन उस उप-धारा में निर्दिष्ट लागत के संदाय के पश्चात् इस अध्याय के अधीन प्रतिभूति विशेष का कोई अतिशेष हो, तो ऐसा अतिशेष या जहां कोई लागत अधिनिर्णीत नहीं की गई है या यथा उपर्युक्त आवदन एक वर्ष को कथित अवधि क भीतर नही किया गया है तो सारा प्रतिभूति निक्षेप, उस व्यक्ति द्वारा जिसन प्रतिभूति निक्षिप्त की है या यदि ऐसे निक्षेप क पश्चात् उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसक विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा उस निमित्त निदेशक को लिखित

आवेदन पर, यथास्थिति कथित व्यक्ति को या, उसके विधिक उत्तराधिकारियों को, वापिस कर दिया जाए ।

लागत सम्बन्धी आदेशों का निष्पादन ।

52. इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन लागत सम्बन्धी कोई आदेश, मुख्य सिविल न्यायालय, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसे आदेश द्वारा किसी धन-राशि को संदत्त करने के लिए निदिष्ट किसी व्यक्ति का आवास या कारबार स्थान है, के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा और ऐसे न्यायालय आदेश का निष्पादन उसी रीति और प्रक्रिया द्वारा करेगा या करवाएगा, मानो कि यह उसके द्वारा किसी वाद में धन के संदाय के लिये की गई डिक्री हो :

परन्तु जहां ऐसी कोई लागत या उसका कोई भाग धारा (5) की उप-धारा (2) के अधीन आवेदन द्वारा वसूल किया जाए, इस धारा के अधीन ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर कोई आवेदन नहीं दिया जा सकेगा, जब तक कि यह किसी लागत के अतिशेष के लिए न हो जो उस उप-धारा के अधीन दिए गए आवेदन के पश्चात् उस उप-धारा में निर्दिष्ट प्रतिभूति निक्षेप की अपर्याप्त राशि के कारण वसूल करने के लिए रह गया हो ।

भ्रष्ट आचरण जिससे निरर्हता हो जाती है ।

53. भ्रष्ट आचरण, उस तारीख से गणित पांच वर्ष की अवधि के लिए जिसकी विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसे आचरण के बारे में निष्कर्ष दिया गया है, बोर्ड की सदस्यता के लिए निरर्हता हो जाएगी :

परन्तु हिमाचल प्रदेश सरकार कारणों को अभिलिखित करके, निरर्हता हटा सकेगी या उसकी अवधि कम कर सकेगी ।

अध्याय-4
प्रकीर्ण

नियम ।

54. (1) हिमाचल प्रदेश सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए, उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्,—

(क) तारीख जिसको धारा 3 की उप-धारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों की संख्या की गणना की जाएगी;
(ख) वह समय और स्थान जहां और वह रीति जिसमें धारा 4 द्वारा अपेक्षित निर्वाचन किए जाएंगे;
(ग) रजिस्ट्रार और धारा 13 के अधीन नियुक्त बोर्ड के अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें;
(घ) धारा 14 के अधीन रख जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप;
(ङ) धारा 14 की उप-धारा (4) के अधीन देय फीस की राशि;
(च) फीस की राशि जिसके संदाय पर और शर्तें जिनके अधीन कोई व्यक्ति धारा 15 के अधीन रजिस्टर के भाग 1 या भाग 2 या भाग 3 में अपना नाम प्रविष्ट करवा सकेगा;

(छ) वह रीति जिसमें रजिस्ट्रार के विनिश्चय के विरुद्ध धारा 18 के अधीन अपीलों की बोर्ड द्वारा सुनवाई की जाएगी और विनिश्चित की जाएगी और ऐसी अपीलों के लिए प्रभार्य फीस;

(ज) धारा 22 के अधीन सदस्यों को देय फीस और भत्ते;

(झ) धारा 24 के अधीन प्रतियों के प्रदाय के लिए देय राशि;

(ञ) वह रीति जिसम बोर्ड द्वारा फीस के रूप में प्राप्त धनराशि की धारा 25 के अधीन उपयोजन किया जाएगा;

(ट) धारा 37 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित दी जाने वाली प्रतिभूति की राशि और रीति जिसमें यह दी जाएगी;

(ठ) अध्याय 3 के अधीन वह प्राधिकारी जिसे निर्वाचन अर्जियां पेश की जा सकेंगी और जिस द्वारा ऐसी अर्जियों की जांच और विनिश्चय किया जाएगा ;

(ड) धारा 38 की उप-धारा (1) के अधीन अर्जी से संलग्न किए जाने वाले अपेक्षित शपथ-पत्र का प्ररूप ;

(ढ) कोई अन्य विषय जो नियमों द्वारा विहित किया जाता है या विहित किया जा सकेगा या उपबन्धित किया जा सकेगा ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के, जिसम यह इस प्रकार रखा गया है, या पूर्वोक्त सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाती है या विनिश्चय करती है कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् नियम, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु, नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

विनियम ।

55. (1) बोर्ड, हिमाचल प्रदेश सरकार की पूर्व अनुमति से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों से अनसंगत निम्नलिखत सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्,—

(क) वह समय और स्थान जहां बोर्ड अपनी बैठक करेगा और वह रीति जिसमें धारा 11 के अधीन ऐसी बैठकें बुलाई जाएंगी,

(ख) कोई अन्य विषय जो इस अधियनयम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझा जाए ।

(2) सभी विनियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे ।

(3) हिमाचल प्रदेश सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी विनियम को रद्द कर सकेगी ।

अध्याय-5

निरसन और व्यावृत्तियां

निरसन और व्यावृत्तियां ।

56. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ से,—

(क) प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट

क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी प्रैक्टीशनर्ज ऐक्ट, 1949; और

(ख) पंजाब आयुर्वेदिक एण्ड यूनीनी प्रैक्टीशनर्ज ऐक्ट, 1963, जो अन्तरित राज्य क्षेत्रों में लागू है,

निरसित हो जाएंगी :

परन्तु ऐसी किसी अधिनियमिति का निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा,—

(क) ऐसी अधिनियमिति के पूर्व प्रवर्तन या तद्धीन सम्यक् रूप से की गई या होने दी गई कोई बात, या

(ख) ऐसी अधिनियमिति के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, या

(ग) ऐसी अधिनियमिति के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड के सम्बन्ध में कोई अन्वेषण विधिक कार्यवाही या उपचार, और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार, संस्थित जारी या प्रवर्तित की जा सकेगी और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया सकेगा मानों कि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था।

(2) उप-धारा (1) के परन्तुक के अधीन रहते हुए, उप-धारा (1) के अधीन निरसित अधिनियमितियों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई (की गई कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी की गई अधिसूचना, आदेश, या निदेश, और विरचित नियम या विनियम इस के अन्तर्गत हैं) जहां तक वह इस अधिनियम से असंगत है इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों क अधीन की गई समझी जाएगी और तदानुसार प्रवर्तन में रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्रवाई द्वारा अधिक्रान्त नहीं कर दी जाती ।

(3) उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के उपबन्धों के सामान्य रूप से लागू रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पंजाब आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी प्रैक्टीशनर्ज ऐक्ट, 1963 (1963 का 42) की धारा 3 की उप-धारा (6) के अधीन गठित अन्तरिम बोर्ड की 4 फरवरी, 1966 से ठीक पूर्व की आस्तियां और दायित्व जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) के अधीन किसी करार या अन्यथा के अधार पर, हिमाचल प्रदेश सरकार को न्यागत हो सकेंगे यदि हिमाचल प्रदेश सरकार ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड की आस्तियां और दायित्व हो जाएंगे ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

57. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत ऐसे उपबन्ध बना सकेगी या निदेश दे सकेगी, जो इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 21 मार्च, 1978

सं० 2-38/73-एच० एण्ड० ए० डब्लयु.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश

आयुर्वेदिक और युनानी व्यवसायी अधिनियम, 1968 (1968 का 21) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित उन्हें सशक्त करने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची का संलग्न उपाबन्ध के अनुसार तत्काल संशोधन करते है:—

अनुसूची-I

(धारा 15 और 31 देखें)

भारत के अन्य चिकित्सा संस्थाओं की विश्वविद्यालयों, बोर्डों द्वारा मंजूर की गई भारतीय चिकित्सा की मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हताएं

विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था का नाम	मान्यता प्राप्त अर्हता	रजिस्ट्रशन के लिए संक्षपाक्षर	टिप्पण
1	2	3	4
आंध्र	भाग-1 आयुर्वेदा और सिद्धा		
1. बोर्ड आफ इण्डियन मैडीसिन हैदराबाद आ0 प्र0 ।	ग्रेजुएट आफ दी कालेज आफ मैडीसिन ।	जी0 सी0 ए0 एम0	
	ग्रेजुएट आफ दी कालेज आफ इनटिग्रटिड मैडीसिन ।	जी0 सी0 आई0 एम0 ।	
	आयुर्वेदा विशारद ।	ए0 वी0 के0	
	बैचुलर आफ आयुर्वेदिक मैडीसिन एण्ड सर्जरी ।	बी0 ए0 एम0 एण्ड एस0 ।	
2. आंध्र आयुर्वेदा परिषद् विजयवाड़ा (इग्जैमनिंग बाडी) ।	विद्या विद्वान	—	
3. श्री वैंकटेश्वर आयुर्वेदा कलासला, विजय-वाड़ा ।	आयुर्वेदाकार	—	
	आयुर्वेदा कलानिधि डिप्लोमा इन आयुर्वेदा मैडि-सिन ।	डी0 ए0 एम0	
4. श्री रंगाचार्य राम मोहन आयुर्वेदिक कालेज, गंगटर, असम ।	आयुर्वेदा प्रवीण	—	
5. बोर्ड आफ आयुर्वेदिक मैडिसिन, आसाम ।	डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मैडिसिन सर्जरी ।	डी0 ए0 एम0 एस	

1	2	3	4
बिहार :			
6. स्टेट फकल्टी आफ आयुर्वेदिक एण्ड युनानी मैडिसिन, पटना, बिहार।	ग्रेजुएट इन आयुर्वेदिक मैडिसिन एण्ड सर्जरी।	—	1953 से आगे।
7. गवर्नमेंट आयुर्वेदिक स्कूल, पटना, बिहार फोरमर।	आयुर्वेदाचार्य	—	—
8. गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज, पटना, बिहार।	आयुर्वेदाचार्य	—	—
9. संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा, बिहार।	प्राणाचार्य	—	—
10. आयुर्वेदिक एण्ड युनानी तिब्बिया कालेज, दिल्ली।	आयुर्वेदाचार्य	—	1958 तक
	धनवन्तरी		
	भीशगाचार्य,	—	1958 तक
	धनवन्तरी		1958 तक
	वैद्यधानरी		
11. बोर्ड आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी सिस्टम आफ मैडीसिन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन।	बैचलर आफ इण्डियन मैडीसिन एण्ड सर्जरी आयुर्वेदाचार्य धनवन्तरी।	बी0आई0एम0 एस0 —	1958 से 1963 तक। 1956 से 1960 तक।
	(डिप्लोमा इन इंडियन मैडीसिन एण्ड सर्जरी।	डी0आई0एम0 एस0	1956 से 1960 तक।
	भीशगाचार्य धनवन्तरी।	—	—
12. आल इंडियन आयुर्वेदा, विद्यापीठ, दिल्ली।	आयुर्वेदा विशारद	—	—
	आयुर्वेदा भीषक	—	—
	वेद्यार्य	—	—
	प्रचावैद्य परीक्षा	—	—
	वैद्य विशारद	—	—
	आयुर्वेदाचार्य	—	—
13. बनवारी लाल आयुर्वेदिक विद्यालय, दिल्ली।	वैद्य-राज	—	1958 तक
	भीशगाचार्य	—	1959 तक
	आयुर्वेदाचाय	—	1958 तक
14. इग्जेमनिंग बाडी एण्ड युनानी सिस्टम आफ आयु0	(बैचुलर इन इंडियन मैडीसिन एण्ड सर्जरी)	बी0आई0एम0 एस0।	1969 से आग।

1	2	3	4
गुजरात :			
15. यूनिवर्सिटी आफ गुजरात ।	बैचुलर आफ आयुर्वेदिक मैडीसिन एण्ड सर्जरी ।	बी0 ए0 एम0 एस0 ।	—
16. एम0एस0यूनिवर्सिटी बड़ौदा ।	आयुर्वेदा विशारद	—	—
17. फैकल्टी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी सिसटम आफ मैडिसिन, गुजरात ।	ग्रेजुएट आफ दी फैकल्टी आफ आयुर्वेदिक मैडीसिन ।	जी0एफ0ए0एम0	—
18. कमेटी आफ सूधा आयुर्वेदिक कोर्स, गुजरात, अहमदाबाद ।	आयुर्वेदा प्रवीणा	डी0एम0ए0सी0	—
19. बोर्ड आफ इंडियन मैडिसिन, सौराष्ट्रा ।	आयुर्वेदा-विशारद	—	—
20. पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग सैण्टर इन आयुर्वेदा, जमनानगर ।	हायर प्रोफिसिएंसी इन आयुर्वेदा ।	एच0पी0ए0	—
21. श्रवणामासा दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा ।	आयुर्वेदत्तम आयुर्वेदाउत्तमा ।	—	—
22. राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, बड़ौदा ।	आयुर्वेदा-मध्यमा	—	—
23. यू0पी0 आयुर्वेदा महाविद्या .य पटना (बड़ौदा स्टेट) ।	गृहित आयुर्वेदा शास्त्रा डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मैडीसिन ।	डी0ए0एम0	—
	गृहित आयुर्वेदा शास्त्र	एल0ए0एम0	1942 तक
24. गुजरात आयुर्वेदा युनिवर्सिटी जमनानगर ।	आयुर्वेदाचार्य	बी0एस0ए0 एस0	—
जम्मू एण्ड काशमीर:			
25. जम्मु एण्ड काशमीर युनिवर्सिटी ।	बैचुलर आफ आयुर्वेदिक मैडिसिन एण्ड सर्जरी ।	बी0ए0एम0 ए0 ।	1968 से दी गई ।
केरल :			
26. युनिवर्सिटी आफ केरल	बैचुलर आफ आयुर्वेदिक मैडिसिन ।	बी0ए0एम0	1987 से 1962 तक
	डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मैडिसिन ।	डी0ए0एम	
27. गवर्नमैंट आफ ट्राविनकोर कोचीन ।	कलानिधि वैद्य	—	—
28. गवर्नमैंट आयुर्वेदा कालेज तरीभीथूरा (केरल) ।	शास्त्र भूषण आयर्वेदा ।	—	—

1	2	3	4
29. कोचीन गवर्नमैंट	वैद्यभूषण	—	—
30. ट्रावनकोर कोचीन गवर्नमैंट ।	आयुर्वेदाभूषणाम	—	—
31. ट्रावनकोर गवर्नमैंट	नेत्रावैद्य विशारद वैद्यकला-निधि ।	—	—
32. केरल गवर्नमैण्ट	डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मैडिसिन ।	डी0ए0एम0	अभी भी जारी है ।
33. ट्रावनकोर गवर्नमैंट	वैद्य शास्त्री मर्म वैद्य विशारद	—	—
34. करेलीया आयुर्वेदा महापाठशाला, शोरानूर, केरला ।	वैद्याठन	—	—
35. कोचीन मैंवर्नमैंट	दि सर्टिनिकेट विशारद, वैद्य ट्रेनिंग ।	—	—
36. मध्य मैमोरियल आयुर्वैदिक कालेज, केन्नानोश, केरला ।	वैद्यभूषण	—	—
37. मध्य आयुर्वेदा कालेज इरनाकलम ।	आयुर्वेदा शास्त्री आयुर्वेदा विद्वान् ।	डी0ए0एम0 1957	1953 से 1957 तक ।
38 आयुर्वेदिक कालेज, कोटाकल केरला ।	आर्य वैद्यन	—	—
39. आर्य वैद्य पाठशाला कोटाकल ।	आर्य वैद्य डिप्लोमा	—	—
40. गवर्नमैंट आयुर्वेदिक कालेज, तरीपुनी; धरा ।	आयुर्वेदा शास्त्र	—	—
41. बोर्ड आफ पब्लिक इग्जामीनेशन कोचीन ।	आयुर्वेदा भूषनम	—	—
42. ट्रावनकोर गवर्नमैंट	डिप्लोमा इन इन्जिनियरिंग मैडिसिन हैल्थ ।	डी0आई0एम0	—
43. ट्रावनकोर सिद्धा वैद्य संगतम, मुनचीरा ।	डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन सिद्धा मैडिसिन ।	—	मई, 1947
मध्य प्रदेश :			
44. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालीयर ।	बैचलर आफ आयुर्वेद विद मोर्डन मैडिसिन एण्ड सर्जरी ।	बी0ए0एम0एस	1965 से आगे
45. इन्दौर विश्वविद्यालय, इन्दौर ।	बैचलर आफ आयुर्वेदा मैडिसिन एण्ड सर्जरी ।	बी0ए0एम0एस0	1965 से आगे ।
46. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन ।	बैचुलर आफ आयुर्वेदा विद् मैडिसिन एण्ड सर्जरी ।	बी0ए0एम0एस0	1964 से आगे ।
47. रवीशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर ।	बैचुलर आफ आयुर्वेदा विद् मोर्डन मैडिसिन एण्ड सर्जरी ।	बी0ए0एम0एस0	1965 से आगे ।

1	2	3	4
48. बोर्ड आफ इण्डियन मैडिसिन, मध्य प्रदेश (मध्य भारत रीजन), ग्वालीयर ।	भीशागाचार्य	एल0आई0एम0	1957 से आगे ।
49. महाकोशल आयुर्वेदिक बोर्ड जब्बलपुर ।	भीशागबाड़ा	एल0ए0वी0	—
50. बोर्ड आफ इण्डियन मैडिसिन मध्य प्रदेश (मध्य भारत रीजन), ग्वालीयर ।	आयुर्वेदा विज्ञानाचार्य	ए0वी0एम0सी0	1958 से आगे ।
51. गवर्नमैंट आयुर्वेदिक विद्यालय, ग्वालीयर (आयुर्वेदिक इजामिनेशन, ग्वालीयर स्टेट)।	(i) वैद्य शास्त्री (ii) विद्यावाश वैद्य (iii) हिन्दी वैद्य परीक्षा	— —	1916 से आगे 1954 तक अब समाप्त अब समाप्त
52. अजतंगा आयुर्वेदा विद्यालय, उज्जैन ।	(iv) आयुर्वेदा शास्त्री वैद्य वाचस्पती	एम0ए0एम0	1-5-1956 तक ।
53. बोर्ड आफ इण्डियन मैडिसिन, ग्वालीयर ।	सहायक वैद्य	—	1954 से और आगे समाप्त ।
54. युनिवर्सिटी आफ साउगोर, साउगोर ।	—	बी0ए0एम0एस0	—
महाराष्ट्र :			
55. नागपुर युनिवर्सिटी, नागपुर ।	बैचुलर आफ आयुर्वेदिक मैडिसिन एण्ड सर्जरी ।	बी0ए0एम0एस0 (नागपुर)	1964 से आगे ।
56. पूना युनिवर्सिटी, पूना	बैचुलर आफ आयुर्वेदिक मैडिसिन एण्ड सर्जरी ।	बी0स0एस0एस0 (पूना) ।	—
57. विदर्भा बोर्ड आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी सिस्टम आफ मैडिसन, महाराष्ट्रा ।	बैचुलर आफ आयुर्वेदिक मैडिसिन एण्ड सर्जरी ।	बी0ए0एम0एस0 विदर्भा ।	—
58. फैकलटी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी सिस्टम आफ मैडिसिन, महाराष्ट्रा ।	आयुर्वेदा विशारद	ए0वी0वी0 (ननदीद)	—
59. कमेटी आफ शुद्धा आर्युवैदिक कोर्स, महाराष्ट्रा ।	आर्युवेदा प्रवीण	डी0एस0ए0 सी0 (बम्बई) ।	—
60. फैकलटी आफ आयुर्वेदिक यूनानी सिस्टम आफ मैडिसिन, बम्बई ।	ग्रेजुएट आफ फैकलटी आफ आयुर्वेदिक मैडिसिन	जी0एफ0ए0एम0 (बम्बई) ।	—
	मैम्बर आफ फैकलटी आफ आयुर्वेदिक मैडिसिन	एम0एफ0 ए0 एम0 (महाराष्ट्रा)	—
	आयुर्वेदा-विशारद ।	डी0ए0एस0एफ0 (बम्बई)	—

1	2	3	4
61. तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पूना।	आयुर्विद्या विशारद	ए0वी0वी0 (पूना)	1964 से पूर्व।
	आयुर्विद्या प्रागत	ए0वी0वी0 (पूना)।	1952 से पहले।
62. अयांगल महाविद्यालय, सतारा।	आयुर्वेद्य विशारद	ए0वी0वी0	1942 से पहले।
63. आयुर्वेदा महाविद्यालय, अहमदनगर।	आयुर्वेद तीर्थ	ए0टी0 (अहमदनगर)	1942 से पूर्व।
मैसूर :			
64. बोर्ड आफ इण्डियन मैडिसिन, मैसूर, बंगलौर।	ग्रेजुएट कोर्स आफ इण्डियन मैडिसियन।	जी0वी0 आई0एम	1964 से आगे।
65. बोर्ड आफ स्ट्डीज़ इन इण्डियन मैडिसियन, मैसूर स्टेट बंगलौर।	आयुर्वेदा प्रवीण	डी0एस0ए0सी0	1958 से आगे।
66. गवर्नमैंट आफ आयुर्वैदिक एण्ड यूनानी कालेज, मैसूर।	आयुर्वेद (वीदवात) (लाईसैन्सी एट इन आयुर्वेदिक मैडिसियन एण्ड सर्जरी)।	एल0 ए0एम0एस0	1928 से 1953 तक।
67. बोर्ड आफ स्ट्डीज़ इन इण्डियन मैडिसियन मैसूर स्टेट एट बंगलौर।	आयुर्वेदिक वीदवात (लाईसैन्सीएट इन आयुर्वेदिक मैडिसियन एण्ड सर्जरी।	एल0ए0एम0एस0	1958 से आगे।
68. सैण्ट्रल बोर्ड आफ इण्डियन मैडिसियन, मैसूर।	आयुर्वेद्य वीदवात (लाईसैन्सीएट इन आयुर्वेदिक मैडिसियन एण्ड सर्जरी)	एल0ए0एम0एस0	1953 से 1958 तक
69. तारानाथ आयुर्वेदा विद्यापीठ, बिलेरी।	आयुर्वेदा विद्वात (लाईसैन्सीएट इन आयुर्वेदिक मैडिसिन एण्ड सर्जरी)।	एल0ए0एम0एस0	1953 से 1958 तक।
70. कमेटी आर अथोरिटी आफ दी मैसूर, महाराजास संस्कृत कालेज (आयुर्वेदिक सैक्शन), मैसूर।	विद्या परवीण आयुर्वेदा विद्वात	—	1952 तक 1909 से पहले।
71. दी कमेटी आर अथोरिटी आफ दी गवर्नमैण्ट आयुर्वेदिक कालेज, मैसूर।	आयुर्वेदा विद्वात	—	1909 से 1928 तक।
72. करनाटका आयुर्वेदा विद्यापीठ, बैलगाम।	भीशीगवार	—	—

1	2	3	4
73. प्रेमा विद्यापीठ, भुन्गभदरा।	आयुर्वेदा चूड़ामणी	—	—
	आयुर्वेदा शिरोमणि	—	—
	भीवागींडदू	—	—
	वैद्यागुरू	—	—
74. गवर्नमैंट आयुर्वेदिक स्कूल, मैसूर।		ए0एम0 एस0	
75. गवर्नमैंट आयुर्वेदिक स्कूल एण्ड कालेज, मैसूर।	वाइसन्सीएट आयुर्वेदिक मैडिसियन एण्ड सर्जरी।	ए0एम0एस0	—
76. बोर्ड आफ स्ट्डीज़ इन इण्डियन मैडिसियन, मैसूर स्टेट, बंगलौर।	डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मैडिसियेन।	डी0 ए0 एम0	1964 से आगे।
77. यूनिवर्सिटी आफ मैसूर, मैसूर।	बैचलर आफ दी सिस्टम आफ आयुर्वेदिक मैडिसियन।	बी0एस0ए0एम0	1967 से आगे।
78. यूनिवर्सिटी आफ बंगलौर।	बैचलर आफ दी सिस्टम आफ आयुर्वेदिक मैडिसियन।	बी0एस0ए0एम0	1967 से आगे।
79. कर्नाटका यूनिवर्सिटी, धरवार।	बेचलर आफ दी सिस्टम आफ आयुर्वेदिक मडिसियन।	बी0एस0ए0 एम0	1969 से आगे।
उड़ीसा :			
80. आयुर्वेदिक इगजामीनेशन बोर्ड, उड़ीसा।	डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मैडिसियन एण्ड सर्जरी।	डी0ए0एम0एस0	1953 से 1962 तक।
81. उड़ीसा एसोशिएशन संस्कृत लर्निंग एण्ड कलचर, पुरी।	आयुर्वेदा-शास्त्री		1933 से 1933 से
82. स्टेट फैक्लटी आफ-आयुर्वेदिक मैडिसियन, उड़ीसा।	आयुर्वेदाचार्य	बी0एस0ए0एम	1969 से आगे।
पंजाब :			
83. फ्कैलटी आफ इण्डियन मैडिसियन, पंजाब।	आयुर्वेदा चार्य (ग्रेजुऐट आफ आयुर्वेदिक मैडिसियन।	जी0ए0एम0एस0	1961 से आगे।
84. सनातन धर्म प्रेम आयुर्वेदिक कालेज, भिवानी।	आयुर्वेदाचार्य कविराज	एम0ए0एम0एस0	1953 तक। —
		एम0ए0एम0 एस0	
85. डी0ए0वी0 मैनेजिंग कमेटी, अमृतसर/ जालन्धर।	वैद्यावाचस्पती	बी0 बी0	—
86. वेदिक एण्ड यूनानी तीब्बी कालेज, अमृतसर।	वैद्यकविराज वैद्य रत्न।	बी0 के0 वी0 के0	1947 तक
87. आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तीब्बी कालेज, अमृतसर।	वाचस्पति	बी0	

1	2	3	4
88. गवर्नमैंट आयुर्वेदिक विद्यालय (कालेज), पटियाला ।	वैद्य	बी0	1956 तक
	वैद्याविशारद	बी0 बी0	
	वैद्यशास्त्री	बी0 एम0	
	आयुर्वेदाचार्य	ऐ0 ऐ0	1956 से
राजस्थान :			
89. राजस्थान आयुर्वेदा विभागीय परीक्षा मंडल, अजमेर ।	भिशागवारा		1962 से
90. राजपुताना आयुर्वैदिक एण्ड यूनानी तीब्बी कालेज, जयपुर ।	भिशागावचार्य शिरोमणि		1951 से
91. गवर्नमैंट आयुर्वैदिक कालेज, जयपुर ।	भीशक	—	—
	भीशागाचार्य	—	—
	भशाम्वला	—	—
92. महाराज कालेज आफ आयुर्वेदा, जयपुर ।	शास्त्रा-आचार्य	—	—
तामिलनाडू :			
93. गवर्नमैंट कालेज आफ इण्डियन इण्डिजिनुअस इंटैगरेटिड मैडिसियन, मद्रास ।	ग्रेजुएट आफ दी कालेज जी0 आफ इण्डियन इण्डिजिनुअस	सी0 आई0 एम0	1947 से 1960 तक ।
	इंटैगरेटिड लाइसैंसिएट इन इण्डियन/-इण्डिजीनुअस/इनटैग्रेटिड मैडिसियन ।	एल0 आई0 एम0	1924 से 1948 तक ।
94. मद्रास आयुर्वेदिक कालेज, मद्रास ।	आयुर्वेदा भूषण आर्युवेदा भीशागवारा ।	—	—
95. वैकटारमना आयुर्वैदिक कालेज माईलार्णेर, मद्रास ।	वैद्यविशारद	—	—
96. बोर्ड आफ इगजामिनर इन इण्डियन/इण्डिजीनुअस इंटेग्रेटिड मैडिसियन, मद्रास ।	हायर प्रोफिसिअंसी इन इण्डियन/इन्डीजीनुअस/इंटेग्रेटिड मैडिसियन ।	एच0पी0आई0एम0	1955 तक
97. युनिवर्सिटी आफ मद्रास, मद्रास ।	आयूर्वेदा-शिरोमणि कचेलर आफ इंडियन मैडिसियन (सिद्धा)	बी0 आई0 एम0	1965 तक

1	2	3	4
98. युनिवर्सिटी आफ मदुराई।	वेचलर आफ इंडियन मेडिसियन (सिद्धा)।	बी0 आई0 एम0	1966 से आगे।
उत्तर प्रदेश :			
99. बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी, वाराणसी।	आयुर्वेद शास्त्राचार्य	ए0 एम0 एस0	1925 से 1932 तक।
	आयुर्वेदाचार्य इन मैडिसियन एण्ड सर्जरी।		
	आयुर्वेदाचार्य विद मोडर्न मेडिसियन एण्ड सर्जरी।	ए0 एम0 एस0	1934 से 1953 तक।
	डाक्टर आफ आयुर्वेदिक मैडिसियन।	डी0ए0आई0एम0	1967 से आगे
	आयुर्वेदाचार्य वेचलर आफ मैडिसियन।	ए0 बी0 एम0एस0	1954 से
100. लखनऊ युनिवर्सिटी, लखनऊ।	वेचलर आफ आयुर्वेदा विद मोडर्न। मैडिसियन एण्ड सर्जरी।	बी0 ए0 एम0 एम0एस0।	1960 से आगे
	वेचलर आफ मैडिसियन एण्ड वेचलर आफ सर्जरी।	बी0 एम0 बी0एस0	1955 से 1964 तक।
101. आयुर्वेदिक कालेज गुरुकुल युनिवर्सिटी, कांगड़ी (हरद्वार)।	आयुर्वेदा-अलंकार	—	1926 से
	आयुर्वेदा-वाचस्पती	—	1956 तक।
102. गुरुकुल विद्यालय, वृन्दावन।	आयुर्वेदशिरोमणि	—	1916 से
	आयुर्वेदाभूषण।		1967 तक।
103. ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरद्वार	आयुर्वेद विशारद	—	1943 तक
	वैद्यविशारद	—	—
	वैद्य शास्त्री	—	—
	आयुर्वेद शास्त्री	—	—
	आयुर्वेदाचार्य	—	—
104. ललित हरी आयुर्वैदिक कालेज, पिली-भीत।	वैद्यभूषण	—	1944 तक
	वैद्यराज	—	—
105. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, संग्राम।	वैद्याविशारद	—	1931 से 1967 तक।
	आयुर्वेदरत्न	—	1931 से 1967 तक।
106. जब्बलपुर महाविद्यालय, हरद्वार।	आयुर्वेदभाशार (जब्बलपुर) सैन्टर, ओनली।	—	1950 से 1967 तक।

1	2	3	4
107. बोर्ड आफ इंडियन मैडिसियन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	डिप्लोमा इन इंडीजीनुअस मैडिसियन।	डी0 आई0 एम0	1932 से 1944 तक।
	डिप्लोमा इन इन्डीजीनुअस मैडिसियन एण्ड सर्जरी।	डी0 आई0 एम0 एस0	1943 से 1946 तक
	मैचलर आफ इण्डियन मैडिसियन एण्ड सर्जरी।	बी0 आई0 एम0 एस0	1947 से 1956 तक।
	आयुर्वेदाचार्य बेचलर आफ मैडिसियन एण्ड सर्जरी।	ए0 एम0 बी0 एस0	1957 से 1966 तक।
	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर आयुर्वेदाचार्य आफ आयुर्वेदा विद मेडिसियन एण्ड सर्जरी।	बी0 ए0 एम0 एस0	1959 से
पश्चिमी बंगाल :			
108. श्यामादास वैद्य शास्त्रापीठ परिषद्, कलकत्ता।	वैद्याशास्त्री	आयुर्वेदाचार्य बी0 ए0 एम0 एस0	1926 से 1940 तक।
109. जैमिनी भूषण अशतंग आयुर्वेद विद्यालय, कलकत्ता।	भीषगाचार्य (मास्टर इन आयुर्वेदिक मैडिसियन एण्ड सर्जरी।	एम0 ए0 एम0 एस0	1930 तक 1940 तक।
110. जैमिनी भूषण अशतंग आयुर्वेद विद्यालय कलकत्ता।	भीषगारत्ना लाईसेंसीएट इन आयुर्वेदिक मडिसियन एण्ड सर्जरी।	एल0 ए0 एम0 एस0	1920 से 1940 तक।
111. जनरल कौंसिल एण्ड स्टेट फैक्लटी आफ आयुर्वेदिक मैडिसियन वैस्ट बंगाल (नाऊ पश्चिम बंगा आयुर्वेदा परिषद्) कलकत्ता।	वैद्य शिरोमणि (मेम्बर आफ दी आयुर्वेदिक स्टेट फैक्लटी)	एम0 ए0 एस0 एफ0	1940 से 1949 तक।
	वैद्यशास्त्री	—	1940 से 1945 तक।
	वैद्यभूषण (लाईसैंसिएट आयुर्वेदिक स्टेट फैक्लटी)	एल0 ए0 एस0 एफ0	1939 से 1950 तक।
	आयुर्वेदातीरथ मेम्बर आफ दी आयुर्वेदिक स्टेट फैक्लटी)	एम0 ए0 एस0 एफ0	1947 से आगे।
	आयुर्वेदातीरथा (आयुर्वेदिक स्टेट फैक्लटी)।	ए0 एस0 एफ0	1946 से आगे।
	प्रणाचार्य	एफ0 ए0 एस0 एफ0	—
112. आयुर्वीदिया प्रतिष्ठान कलकत्ता	भीषगारत्ना	—	1930 से 1940 तक।
113. गंगा चरण आयुर्वेद आयुर्वेदा विद्यालय, कलकत्ता।	शास्त्री	—	1928 से 1940 तक।

1	2	3	4
114. महाराजा कोसीम्बाजार गोविन्दासुन्दरी आयुर्वेदिक कालेज, कलकत्ता ।	आयुर्वेदा शास्त्री (बेचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसियन)	ए0एम0बी0	1927 से 1940 तक ।
	आयुर्वेदाचार्य) मास्टर आफ आयुर्वेदिक (मैडिसियन (डाक्टर) ।	ए0एम0डी0	1927 से 1940 तक ।
115. विश्वानाथ आयुर्वेद महाविद्यालय, कलकत्ता ।	भीषागरत्ना (डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मैडिसियन एण्ड सर्जरी)	डी0ए0एम0एस0	1932 से 1940 तक ।
	वद्यशिरोमणी (बैचलर आफ आयुर्वेदिक मैडिसियन एण्ड सर्जरी)	बी0ए0एम0एस0	1932 से 1940 तक ।
	(मास्टर आफ आयुर्वेदिक मेडिसियन एण्ड सर्जरी)	एम0ए0एम0एस0	1932 से 1940 तक ।
	पार्ट—2—यूनानी		
आंध्रा :			
1. इस्लामिया अरेबिक तिब्बी कालेज, कुरनूल (आं0प्र0)	तावीव-कामील	—	—
2. नीजामिया तिब्बी कालेज, हैदराबाद ।	बेचलर आफ यूनानी मैडिसियन एण्ड सर्जरी	बी0यू0एम0 एण्ड एस0	—
	तिब्बी-ल-मुस्तनदद	. .	—
	ग्रेजुएट आफ दी कालेज आफ यूनानी मेडिसियन ।	जी0सी0यू0एम0	—
बिहार :			
3. स्टेट फैक्लटी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मडिसियन पटना, बिहार ।	ग्रेजुएट इन यूनानी मैडिसियन एण्ड सर्जरी ।	जी0यू0एम0एस0	1953 से आगे ।
दिल्ली :			
4. बोर्ड आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी सिस्टम आफ मैडिसयन, दिल्ली ।	(बैचलर इन इण्यिन मैडिसियन एण्ड सर्जरी)	बी0 आई0 एम0एस0	1950 से 1963 तक ।
	फोजील-ई-ओ-जाराहत (डिप्लोमा इन इण्डियन मैडिसियन एण्ड सर्जरी)	डी0आई0एम0एस0	1956 से 1963 तक ।
	कामील-ई-तिब-ओ-जराहत ।		
5. आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तीबिया कालज, देहली ।	फाजील-ई-तिब-और-जराहत	—	1958 तक
	कामील-ई-तिब-ओ-जराहत ।		1958 तक
6. जामीया तीबिया, दिल्ली ।	अकमाल-उल-हुकमा	—	1958 तक

1	2	3	4
7. इगजामीनिंग बोडी, आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी सिस्टम आफ आफ आयु० मैडिसियन, देहली ।	फाजील-ई-तीब-ओ-जराहत (बैचुलर इन इण्डियन मैडिसियन सर्जरी) ।	बी० आई० एम० एस०	1963 तक आगे ।
जम्मू एण्ड कश्मीर :			
8. जम्मू एण्ड कश्मीर युनिवर्सिटी ।	बैचलर आफ यूनानी मैडिसियन सर्जरी ।	बी० यू० एम० एस०	1966 से आगे ।
10. फैकल्टी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी सिस्टम आफ मैडिसियन महाराष्ट्रा,	माहिर-ई-तिब-ई-जराहत	डी० यू० एस० एम० (बम्बई) ।	—
11. बोर्ड आफ इगजामिनर इन यूनानी ।	माहिर-ई-तिब-ई-जराहत	एम० टी० जे० (बम्बई) ।	1942 से 1943 तक ।
मैसूर :			
12. बोर्ड आफ स्टडीज इन इण्डियन मैडिसियन, मैसूर बंगलौर ।	तावीब-ई-हसक (लाइसैंसीएट इन यूनानी मैडिसियन एण्ड सर्जरी) ।	एल० यू० एम० एस०	1958 से आगे ।
13. गवर्नमैन्ट आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी कालेज (कालेज आफ इण्डियन मैडिसियन) मैसूर ।	तावीज-ई-हसक (लाइसैंसीएट इन यूनानी मैडिसियन एण्ड सर्जरी) ।	एल० यू० एम० एस०	1928 से 1953 तक ।
14. सैन्ट्रल बोर्ड आफ इण्डियन मैडिसियन मैसूर बंगलौर ।	तबीब-ई-हसक (लाईसैंसीएट इन यूनानी मैडिसियन एण्ड सर्जरी ।	एल० यू० एम० एस०	1953 से 1958 तक ।
15. गवर्नमैन्ट आयुर्वेदिक स्कूल, मैसूर ।		यू० एस० एम०	—
तामिलनाडू :			
16. गवर्नमैन्ट कालेज आफ इण्डियन/ इन्डिजीनुअस/ इंटिग्रेटिड मैडिसियन, मद्रास ।	लाइसैंसीएट एन इण्डियन/ इनडिजीनुअस/इंटेग्रेटिड मैडिसियन ग्रेजुएट आफ दी कालेज आफ इण्डियन/ इन्डिजीनुअस/इंटेग्रेटिड मैडिसियन ।	एल० आई० एम०	—
		जी० सी० आई० एम०	—
17. बोर्ड आफ इगजामीनर इन इण्डियन/ इन्डीजीनुअस/ इंटेग्रेटिड मैडिसियन।	हायर प्रोफीसेन्सी इन इण्डियन/ इन्डीजीनुअस/इंटेग्रेटिड मैडिसियन ।	एच० पी० आई०	—

1	2	3	4
पंजाब :			
18. भूपीन्द्रा तीवी कालेज ।	फाजुल-उल-हुकमा	—	—
19. आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तीवी कालेज, अमृतसर ।	कामील-उल-तीवी फाजील-उल-तीवी	के0यू0टी0 एफ0यू0टी0	1947 तक
राजस्थान :			
20. राजपुताना आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तीवी कालेज, अमृतसर ।	अमद-तुल-हुकमा तावीज-फजील	—	1951 से आगे ।
उत्तर प्रदेश :			
21. मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ ।	डिप्लोमा इन इण्डियन मैडिसियन एण्ड सर्जरी ।	डी0आई0एम0एस0	1927 से 1934 तक ।
	डिप्लोमा इन यूनानी मैडिसियन एण्ड सर्जरी ।	डी0यू0एम0एस0	
	बैचलर आफ यूनानी मैडिसियन एण्ड सर्जरी ।	बी0यू0एम0एस0	1953 से आगे ।
	बैचलर आफ यूनानी तीवी एण्ड सर्जरी ।	बी0यू0टी0एस0	1947 से 1954 तक ।
22. बोर्ड आफ इण्डियन मैडिसियन उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।	डिप्लोमा इन इन्डिजीनुअस मैडिसियन ।	डी0आई0एम0	1932 से 1944 तक ।
	डिप्लोमा इन इन्डिजीनुअस मैडिसियन एण्ड सर्जरी ।	डी0आई0एम0एस0	1943 से 1946 तक ।
	बैचलर आफ इण्डियन मैडिसियन एण्ड सर्जरी ।	बी0आई0एम0एम0	1947 से 1956 तक ।
	फाजील-उल-तिब (बैचलर आफ मैडिसियन एण्ड सर्जरी)	एफ0एम0बी0एम0	1957 से आगे ।

15-8-1947 से पहले अर्हताएं

पार्ट-3—आयुर्वेदा एण्ड सिद्धा

1. दयानन्द आयुर्वेदिक कालज, लाहौर ।	वैद्या वाचस्पती	—	1947 से
	वैद्य कविराज	—	1947 से पहले
2. सनातन धर्म प्रमगिरि आयुर्वेदिक कालज, लाहौर ।	वैद्य शास्त्री	—	1947 से पहले
	श्री आयुर्वेदाचार्य	—	1947 से पहले
	श्री वैद्य कविराज	—	1947 से पहले
3. मनमोहन चतुसाति, ढाका ।	आयुर्वेद शास्त्री आयुर्वेदरत्ना	—	1920 से लेकर 1940 से पहले ।

1	2	3	4

पार्ट-4—यूनानी

1. इस्लामिया कालेज, लाहौर ।	हाकिम-ई-हाजिक जुबदातुल-हुकमा		
2. तिबिया कालेज, लाहौर ।	हासिक-उल-हुकमा	एम0 यू0 एम0	1947 तक
	माहिर-तीबी-जराहत	एम0 टी0 जे0	1947 तक
	हाकिम-ई-हाजिक	एच0 एच0	1947 तक

पार्ट-5

उन देशों में चिकित्सा संस्थाओं द्वारा मंजूर अर्हताएं जिनके साथ पारस्परिक स्कीम है ।

आयुर्वेदा एण्ड सिद्ध

गवर्नमैन्ट आफ सिस्टम आफ मैडिसियन, सिलोन ।	कालेज डिप्लोमा इन इंडिजिनुअस इंडीजीनुअस मैडिसियन एण्ड सर्जरी ।	डी0 आई0 एम0 एस0	—

अनुसूची—II

[धारा 35 (ग) और धारा 53 देखें]

धारा 53 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित भ्रष्ट आचरण माना जाएगा :—

(अ) अभ्यर्थी अथवा उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी अथवा उसके अभिकर्ता किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निम्न के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से किसी परितोषण की भेंट, प्रस्ताव अथवा वचन देना,—

(क) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़ा होने या खड़ा न होने या नाम वापस लेने अथवा न लेने, या

(ख) निर्वाचन म मतदाता को वोट देने या मतदान से विरत रहने अथवा निम्न के लिए इनाम के रूप में,—

(i) इस प्रकार खड़े होने के लिए या खड़े न हुए के लिए अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने या न लेने के लिए, किसी व्यक्ति को, या

(ii) मतदाता को मतदान देने या मतदान देने से विरत रहने के लिए;

(आ) किसी परितोषण को प्राप्ति या प्राप्त करने के लिए करार, चाहे हेतु के रूप में या इनाम क रूप में,—

(क) किसी व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी के रूप में, खड़े होने या न खड़े होने अथवा नाम वापस लेने या न लेन के लिए, या

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा, जो कोई भी अपने लिए या अन्य किसी व्यक्ति के लिए मत देने या मत देने से विरत रहने या किसी मतदाता को मतदान करने या मतदान से विरत होने या किसी अभ्यर्थी को अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने या न लेने के लिए उत्प्रेरित करना या उत्प्रेरित करने का प्रयास करना।

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "परितोषण" पदा आर्थिक परितोषणों अथवा धन म आकलनीय परितोषणों तक सीमित नहीं है और इसके अन्तर्गत मनोरंजन के सब प्रकार और इनाम के लिए नियोजन के सब प्रकार हैं किन्तु इसके अन्तर्गत, निर्वाचन पर अथवा उसके प्रयोजन के लिए उपगत सद्भावी किन्हीं का संदाय नहीं है।

(2) अनुचित प्रभाव अर्थात्, अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता को ओर से या अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति का, किसी निर्वाचन अधिकार क स्वच्छन्द प्रयोग द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हस्ताक्षेप या हस्ताक्षेप करने का प्रयत्न :

परन्तु, —

(क) इस खण्ड के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें निर्दिष्ट ऐसा कोई व्यक्ति जो, —

(1) किसी अभ्यर्थी या मतदाता अथवा किसी व्यक्ति को जिसमें अभ्यर्थी अथवा मतदाता रुचि रखता है किसी प्रकार की क्षति जिसके अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार और किसी जाति या समुदाय से बहिष्करण या बहिष्कार भी है, की धमकी देता है; या

(2) अभ्यर्थी या मतदाता को विश्वास करने के लिए अत्यप्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयास करता है कि वह या कोई व्यक्ति जिसमें वह रूचि रखता है ईश्वरीय अप्रसन्नता अथवा दिव्य क्रोध का पात्र हो जाएगा ;

इस खण्ड के अर्थ के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के स्वच्छन्द प्रयोग में हस्तक्षेप करते हुए माने जाएंगे,

(ख) लोक नीति की घोषणा या लोक कार्रवाई का वचन अथवा किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना विधि अधिकार का प्रयोग मात्र, इस खण्ड क अर्थ के अन्तर्गत हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा।

(3) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता अथवा प्रत्याशी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति से उसके धर्म, वंश, जाति, समुदाय अथवा भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति को मत देने अथवा म तदान से विरत रहने के लिए आग्रह करना अथवा उस अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीक का प्रयोग करने या उसके लिए आग्रह या राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग करना या आग्रह करना।

(4) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता अथवा अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की सहमति से अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी के चुनाव की आशा बढ़ान क लिए अथवा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालन क लिए, भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों में धर्म, वंश जाति, समुदाय अथवा भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा दना या बढ़ावा देने का प्रयास करना ।

(5) अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता अथवा अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, तथ्य के किसी कथन, जो मिथ्या है और जिसे किसी अभ्यर्थी के वयक्तिक चरित्र या आचरण के सम्बन्ध में या किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता या नाम वापस लेने के संबंध में उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रकाशित किया गया कथन होने पर, या तो मिथ्या होने का विश्वास करना है या विश्वास करता है कि वह सत्य नहीं है, का प्रकाशन।

(6) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी अथवा उसके अभिकर्ता की सहमति से उस प्रत्याशी के निर्वाचन की संभावनाओं को अग्रसर करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र सरकार, भारत सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण की सेवा में किसी व्यक्ति से किसी सहायता को मत (देने के अतिरिक्त) अप्राप्ति या अभिप्राप्ति या दुष्प्रेरणा अथवा अप्राप्ति या अभिप्राप्ति के लिए प्रयत्न।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।